

consignment, no e-way bill shall be required to be generated where the movement of goods commences and terminates within the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.

2. This notification shall come into force from 1st day of April, 2018.

[F. No. S. 31011/25/2017-ST-I-DoR]

S. R. MEENA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2018

सं. 5/2018—संघ राज्य क्षेत्र कर

सा.का.नि. 318(अ.).—केंद्र सरकार, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 22 की उप-धारा (1) और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 138 के उप-नियम 14 के खंड (घ) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करती है कि प्रेषित माल के मूल्य पर ध्यान दिए बिना, कोई ई-वे बिल बनाना अपेक्षित नहीं होगा जहां माल की आवाजाही दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के भीतर शुरू और समाप्त होती है।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एस 31011/25/2017-राज्य कर-I-राजस्व विभाग]

एस. आर. मीना, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2018

No. 5/2018-Union Territory Tax

G.S.R. 318(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 14 of 2017) and section 164 of Central Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 12 of 2017) read with clause (d) of sub-rule 14 of rule 138 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notify that irrespective of the value of the consignment, no e-way bill shall be required to be generated where the movement of goods commences and terminates within the Union Territory of Daman and Diu.

2. This notification shall come into force from 1st day of April, 2018.

[F. No. S. 31011/25/2017-ST-I-DoR]

S. R. MEENA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2018

सं. 6/2018—संघ राज्य क्षेत्र कर

सा.का.नि. 319(अ.).—केंद्र सरकार, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 22 की उप-धारा (1) और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 138 के उप-नियम 14 के खंड (घ) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करती है कि प्रेषित माल के मूल्य पर ध्यान दिए बिना, कोई ई-वे बिल बनाना अपेक्षित नहीं होगा जहां माल की आवाजाही लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के भीतर शुरू और समाप्त होती है।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एस 31011/25/2017-राज्य कर-I-राजस्व विभाग]

एस. आर. मीना, अवर सचिव